

विनियोग संख्या 35 - ब्याज अदायगियां
APPROPRIATION No. 35-INTEREST PAYMENTS

	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:		
प्रभारित-	Charged-	133499,86,00	130958,22,43 -2541,63,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		3208,63,14
टीका और टिप्पणियां		Notes and comments	

- | | |
|---|--|
| <p>1. विनियोग में, अभ्यर्पित राशि (320863.14 लाख रु.) 254163.57 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।</p> <p>2. विनियोग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ :-</p> | <p>1. In the appropriation, the amount surrendered (Rs.320863.14 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.254163.57 lakhs.</p> <p>2. In the appropriation, savings/excess occurred under the following major head:-</p> |
|---|--|

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		
मुख्य शीर्ष "2049"	Major Head "2049"		
ब्याज अदायगियां	Interest Payments		
मू.	O.	13349986.00	13029122.86 13095822.43 +66699.57
पु.	R.	-320863.14	

- | | |
|--|---|
| <p>(I) 30.20 लाख रु. का विनियोग चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।</p> <p>(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-</p> <p>(का) "आंतरिक ऋण पर ब्याज" -</p> <p>(क) "बाजार कर्ज पर ब्याज" - 348057.58 लाख रु. की बचत (7333300.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कम उधारों की वजह से ब्याज की कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।</p> | <p>(I) Appropriation of Rs.30.20 lakhs remained wholly unutilised under four heads.</p> <p>(II) Savings occurred under the following heads:-</p> <p>(A) "Interest on Internal Debt"-</p> <p>(a) "Interest on Market Loans"- saving of Rs.348057.58 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.7333300.00 lakhs) was due to less payment of interest owing to less borrowing.</p> |
|--|---|

- (ख) 'भारतीय रिजर्व बैंक को जारी खजाना बिल और सम्बद्ध प्रतिभूतियाँ - खजाना बिलों पर छूट - 91 दिन के खजाना बिल'- 33737.27 लाख रु. की बचत (73200.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) मुख्यतः प्रत्याशा से कम खजाना बिल जारी किए जाने के कारण हुई।
- (ग) "अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज" - 27922.21 लाख रु. की बचत (33257.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) बैंक दरों में कमी आने और अर्थोपाय अग्रिमों का कम सहारा लिए जाने के कारण हुई।
- (घ) "01.04.1999 से अल्प बचतों के बकाया शेषों की तुलना में भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज"- 76388.63 लाख रु. की बचत (1237457.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) प्रत्याशा की तुलना में जल्दी मोचन किए जाने के कारण हुई।
- (ङ) "अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज - प्रतिपूर्ति और अन्य बांड"- 109844.40 लाख रु. की बचत (508209.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कम अंशदान किए जाने के कारण हुई।
- (खा) "अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज - बीमा और पेंशन निधियों पर ब्याज" -
- (क) "केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम" - 1855.37 लाख रु. की बचत (29100.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की अधिक संख्या होने की वजह से स्कीम से अधिक आहरण होने के कारण हुई।
- (ख) "संघ राज्य क्षेत्र सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम" - 522.83 लाख रु. की बचत (1795.51 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और
- (ग) "डाक जीवन बीमा और जीवन वार्षिकी निधि" - 3755.58 लाख रु. की बचत (61698.14 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।
- (b) "Treasury bills and connected securities issued to Reserve Bank of India – Discount on Treasury Bills - 91 Days Treasury Bills" – saving of Rs.33737.27 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.73200.00 lakhs) was mainly due to less issue of treasury bills than anticipated.
- (c) "Interest on Ways and Means Advances" – saving of Rs.27922.21 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.33257.00 lakhs) was due to reduction in bank rates and less recourse to ways and means advances.
- (d) "Interest on Investment in Special Government of India securities issued against outstanding balances of small savings as on 01.04.1999" – saving of Rs.76388.63 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.1237457.00 lakhs) was due to earlier redemption than anticipated.
- (e) "Interest on other Internal Debts- Compensation and other Bonds" – saving of Rs.109844.40 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.508209.00 lakhs) was due to less subscription.
- (B) "Interest on Small Savings, Provident Funds etc. - Interest on Insurance and Pension Funds"-
- (a) "Central Government Employees Group Insurance Scheme" - saving of Rs.1855.37 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.29100.00 lakhs) was due to more withdrawals from the scheme owing to higher number of retirees.
- (b) "Union Territory Government Employees Group Insurance Scheme" – saving of Rs.522.83 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.1795.51 lakhs); and
- (c) "Postal Insurance and Life Annuity Fund" – saving of Rs.3755.58 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.61698.14 lakhs).

दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रत्याशा से कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(गा) “विशेष जमाओं और लेखों पर ब्याज - एलआईसी और जीआईसी की जमा” - 6152.22 लाख रु. की बचत (15816.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) इस अनुबंध के साथ कि 1.10.2004 के बाद बकाया शेष पर कोई ब्याज प्रोद्भूत नहीं किया जाएगा 30.09.2004 से विशेष जमा स्कीम को बंद कर दिए जाने के कारण हुई।

(घा) “अन्य दायित्वों पर ब्याज - जमाओं पर ब्याज” -

(क) “भारतीय रेल वित्त निगम की जमाओं पर ब्याज” - 4305.57 लाख रु. की बचत (8500.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कम ब्याज दर होने और 1.1.2005 से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अधिशेष निधि को जमा किया जाना बंद किए जाने के कारण हुई।

(ख) “एनपीसीआईएल में आमेलित डीएई के प्रतिनियुक्तों के उपदान और पेंशन के संराशित मूल्य की जमाओं पर ब्याज” - 341.47 लाख रु. की बचत (605.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) ब्याज दर के 9% से कम होकर 8% होने के कारण हुई।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत 253.59 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत विनियोग का 34 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई :-

(का) “आंतरिक ऋणों पर ब्याज” -

(क) “364 दिनों के खजाना बिलों पर ब्याज” - 2460.88 लाख रु. का अधिक व्यय (125000.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) गैर प्रतियोगी बोली संघटकों के अंतर्गत अधिक अंशदान किए जाने और भारत औसत लागत में सीमांत वृद्धि होने के कारण हुआ।

Savings under the above two heads were due to less requirement than anticipated.

(C) “Interest on Special Deposits and Accounts – Deposits of LIC and GIC” – saving of Rs.6152.22 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.15816.00 lakhs) was due to closure of the Special Deposit Scheme w.e.f. 30.09.2004 with the stipulation that no interest would accrue on or after 1-10-2004 on the balance outstanding.

(D) “Interest on other Obligations – Interest on Deposits” –

(a) “Interest on Deposits of Indian Railways Finance Corporation” – saving of Rs.4305.57 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.8500.00 lakhs) was due to less interest rates and discontinuation of depositing surplus fund by the Public Sector Undertakings w.e.f. 1-1-2005.

(b) “Interest on Deposit of Gratuity and Commuted Value of Pension DAE deputationists absorbed in NPCIL” – saving of Rs.341.47 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.605.00 lakhs) was due to reduction in the rate of interest from 9% to 8%.

(III) Under four heads savings of Rs.253.59 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 34 percent to 99 percent of the sanctioned appropriation.

3.(I) The above savings were offset by excess under the following heads:-

(A) “Interest on Internal Debt” –

(a) “Interest on 364 days Treasury Bills” – excess of Rs.2460.88 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.125000.00 lakhs) was due to higher subscription under non-competitive bidding components and marginal increase in weighted average cost.

- (ख) "14 दिनों के खजाना बिल" - 2748.06 लाख रु. का अधिक व्यय (46800.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा फरवरी और मार्च, 2005 में निवेशों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण हुआ।
- (ग) "1999-2000 से अल्प बचतों के निवल संग्रहण में जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज" - 8149.18 लाख रु. का अधिक व्यय (313319.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और
- (घ) "केंद्र/राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों के मोचन पर प्राप्त राशियों के पुनः निवेश की तुलना में एनएसएसएफ को जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज" - 43022.62 लाख रु. का अधिक व्यय (369360.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।
- उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय प्रत्याशा से अधिक निवेश किए जाने के कारण हुआ।
- (ङ) बैंक में "बाजार स्थिरीकरण स्कीम जमा धनराशि पर अदा किया गया ब्याज/छूट" - 205654.82 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य विनियोग की तुलना में) नई जमा स्कीम लागू किए जाने के कारण हुआ।
- (च) "ऋण प्रबंधन" - 4881.12 लाख रु. का अधिक व्यय (45000.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्याशा से अधिक दावे किए जाने के कारण हुआ।
- (खा) "बाह्य ऋण पर ब्याज" -
- (क) "फ्रांस की सरकार से कर्जों पर ब्याज" - 633.18 लाख रु. का अधिक व्यय (6558.11 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और
- (ख) "जर्मनी संघीय गणराज्य की सरकार से कर्जों पर ब्याज" - 464.50 लाख रु. का अधिक व्यय (9368.91 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।
- (b) "14 Days Treasury Bills"- excess of Rs.2748.06 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.46800.00 lakhs) was due to significant increase in investments by the State Governments in February and March, 2005.
- (c) "Interest on Investment in Special Government of India securities issued against net collections of small savings from 1999-2000"- excess of Rs.8149.18 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.313319.00 lakhs); and
- (d) "Interest on Special Government of India securities issued to NSSF against reinvestment of sums received on redemption of Special Central/State Government's Securities"- excess of Rs.43022.62 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.369360.00 lakhs).
- Excess under the above two heads was due to more investment than anticipated.
- (e) "Interest/Discount paid on Market Stabilization Scheme Deposit of Money in the Bank" - excess of Rs.205654.82 lakhs (against nil appropriation) was due to introduction of new deposit scheme.
- (f) "Management of Debt" - excess of Rs.4881.12 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.45000.00 lakhs) was due to more claims by the Reserve Bank of India than anticipated.
- (B) "Interest on External Debt" -
- (a) "Interest on loans from the Government of France"- excess of Rs.633.18 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.6558.11 lakhs); and
- (b) "Interest on loans from the Government of Federal Republic of Germany"- excess of Rs.464.50 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.9368.91 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय यूरो की विनिमय दर में वृद्धि होने के कारण हुआ।

- (ग) "अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से कर्जों पर ब्याज" - 4288.81 लाख रु. का अधिक व्यय (82354.63 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) अधिक कर्ज आहरित किए जाने और विशेष आहरण अधिकारों की उच्च विनिमय दर होने के कारण हुआ।
- (घ) "अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से कर्जों पर ब्याज" - 5854.85 लाख रु. का अधिक व्यय (23906.76 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा परिवर्तनीय ब्याज दर में वृद्धि किए जाने के कारण हुआ।
- (ङ) "जापान की सरकार से कर्जों पर ब्याज" - 641.21 लाख रु. का अधिक व्यय (109274.19 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) संशोधित परिशोधन अनुसूचियों और जापानी येन की विनिमय दर का उर्ध्वमुखी संचलन होने के कारण हुआ।
- (च) "ओपेक विशेष निधि से कर्जों पर ब्याज" - 160.46 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य विनियोग की तुलना में) पिछले वर्ष के दौरान की गई पूर्व अदायगी के मूर्तरूप न लेने के कारण हुआ।
- (छ) "यूएसएसआर की सरकार से कर्जों पर ब्याज" - 854.03 लाख रु. का अधिक व्यय (6763.53 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) प्रत्याशा से अधिक आहरणों के कारण हुआ।
- (ज) "एशियाई विकास बैंक से कर्जों पर ब्याज" - 4947.70 लाख रु. का अधिक व्यय (11763.01 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) परिवर्तनीय दर में वृद्धि होने के कारण हुआ।
- (गा) "अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज" -
- (क) "राज्य भविष्य निधि पर ब्याज" -
- (c) "Interest on Loans from International Development Association" - excess of Rs.4288.81 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.82354.63 lakhs) was due to more drawal of loan and higher exchange rate of Special Drawing Rights.
- (d) "Interest on Loans from the IBRD"- excess of Rs.5854.85 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.23906.76 lakhs) was due to increase in variable interest rate by International Bank for Reconstruction and Development.
- (e) "Interest on Loans from the Government of Japan" - excess of Rs.641.21 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.109274.19 lakhs) was due to revised amortisation schedules and upward movement of the exchange rate of Japanese Yen.
- (f) "Interest on Loans from OPEC Special Fund" - excess of Rs.160.46 lakhs (against nil appropriation) was due to non-materialisation of pre-payment during last year.
- (g) "Interest on loans from the Government of U.S.S.R." - excess of Rs.854.03 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.6763.53 lakhs) was due to more drawals than anticipated.
- (h) "Interest on loans from Asian Development Bank" - excess of Rs.4947.70 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.11763.01 lakhs) was due to increase in variable rate.
- (C) "Interest on Small Savings, Provident Funds etc." -
- (a) "Interest on State Provident Fund" -

Excess under the above two heads was due to increase in exchange rate of Euro.

- (i) "सामान्य भविष्य निधि" - 29560.49 लाख रु. का अधिक व्यय (223240.73 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और
- (ii) "अन्य राज्य भविष्य निधियां" - 2346.01 लाख रु. का अधिक व्यय (103987.41 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय प्रत्याशा से अधिक जमाओं के कारण हुआ।

- (iii) "राज्य रेलवे भविष्य निधि" - 9326.91 लाख रु. का अधिक व्यय (74007.24 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) निधि में प्रत्याशा से अधिक अनुवृद्धि होने के कारण हुआ।

- (ख) "बीमा और पेंशन निधियों पर ब्याज - औद्योगिक कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन आश्वासन निधि" - 542.00 लाख रु. का अधिक व्यय (228072.67 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 की वैधता बनाए रखने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि सहित पेंशन निधि अंशदान के संग्रहण में वृद्धि हुई जिससे अधिक ब्याज अदायगियां करनी पड़ीं।

- (ग) "विशेष जमाओं और लेखों पर ब्याज" -

- (i) "राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां" - 696.19 लाख रु. का अधिक व्यय (192063.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) नई जमाओं के कारण हुआ।
- (ii) "यूटीआई को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां" - 3138.10 लाख रु. का अधिक व्यय (43929.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) प्रत्याशा से अधिक बांड जारी किए जाने के कारण हुआ।
- (iii) "ईपीएफ/ईडीएलआई की विशेष जमाएं" - 430.61 लाख रु. का अधिक व्यय (20038.51 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) जमाओं में वृद्धि होने के कारण हुआ।

- (i) "General Provident Fund" - excess of Rs.29560.49 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.223240.73 lakhs); and
- (ii) "Other State Provident Funds" - excess of Rs.2346.01 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.103987.41 lakhs).

Excess under the above two heads was due to more deposits than anticipated.

- (iii) "State Railway Provident Fund" - excess of Rs.9326.91 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.74007.24 lakhs) was due to more accretion in the fund than anticipated.

- (b) "Interest on Insurance and Pension Funds-Family Pension - cum - life Assurance Funds for Industrial Workers" - excess of Rs.542.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.228072.67 lakhs) was due to Supreme Court's order upholding the validity of Employee's Pension Scheme, 1995 which resulted in increase in collection of Pension Fund contribution including arrears which resulted in higher interest payments.

- (c) "Interest on Special Deposits and Accounts"-

- (i) "Special Securities Issued to Nationalised Banks" - excess of Rs.696.19 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.192063.00 lakhs) was due to fresh deposits.
- (ii) "Special Securities issued to UTI" - excess of Rs.3138.10 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.43929.00 lakhs) was due to issue of more bonds than anticipated.
- (iii) "Special Deposits of EPF/EDLI"- excess of Rs.430.61 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.20038.51 lakhs) was due to increase in deposits.

- (घ) "क्षेत्रीय जमाओं पर बोनस - इंडिया रैंकों के असंवितरित वेतन के लिए बोनस" - 449.42 लाख रु. का अधिक व्यय (6785.74 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) असंवितरित वेतन पर व्यक्तिगत चालू लेजर खाते में उच्च जमा पर बोनस की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।
- (द) "Bonus on field deposits - Bonus for undisbursed Pay of India Ranks" - excess of Rs.449.42 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.6785.74 lakhs) was due to payment of bonus on the higher accumulation in the individual running ledger account on undisbursed pay.
- (ङ) "अन्य जमाओं और लेखों पर ब्याज" -
- (e) "Interest on Other Deposits and Accounts"-
- (i) "सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा स्कीम पर ब्याज" - 3638.27 लाख रु. का अधिक व्यय (8500.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और
- (i) "Interest on Deposits Scheme for retiring Government employees" - excess of Rs.3638.27 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.8500.00 lakhs); and
- (ii) "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की जमा स्कीम पर ब्याज" - 467.36 लाख रु. का अधिक व्यय (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।
- (ii) "Interest on Deposits Scheme for retiring employees of Public Sector Undertakings" - excess of Rs.467.36 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.2000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अधिक संग्रहण के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रत्याशा से अधिक ब्याज अदायगी की गई।

Excess under the above two heads was due to more collection which resulted in higher interest payment than anticipated.

- (घा) "आरक्षित निधियों पर ब्याज" -
- (D) "Interest on Reserve Funds" -
- (क) "मूल्यहास नवीकरण आरक्षित निधियों पर ब्याज" -
- (a) "Interest on Depreciation Renewal Reserve Funds" -
- (i) "रेलवे मूल्यहास आरक्षित निधि" - 4079.87 लाख रु. का अधिक व्यय (15248.81 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) निधि में प्रत्याशा से अधिक अनुवृद्धि होने के कारण हुआ।
- (i) "Railway Depreciation Reserve Fund" - excess of Rs.4079.87 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.15248.81 lakhs) was due to more accretion in the fund than anticipated.
- (ii) "बदरपुर ताप विद्युत केंद्र मूल्यहास आरक्षित निधि" - 382.39 लाख रु. का अधिक व्यय (9919.80 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) मूल्यहास आरक्षित निधि के अंतर्गत शेषों में वृद्धि होने के कारण हुआ।
- (ii) "Badarpur Thermal Power Station Depreciation Reserve Fund" - excess of Rs.382.39 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.9919.80 lakhs) was due to increase in the balances under Depreciation Reserve Fund.
- (ख) "रेलवे विकास निधि पर ब्याज" - 9291.68 लाख रु. का अधिक व्यय (927.32 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और
- (b) "Interest on Railway Development Fund"- excess of Rs.9291.68 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.927.32 lakhs); and

- (ग) "सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज" -
- (i) "रेलवे पेंशन निधि" - 1312.00 लाख रु. का अधिक व्यय (8257.24 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।
उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधि में प्रत्याशा से अधिक अनुवृद्धि और कम व्यय होने के कारण हुआ।
- (ii) "फार्मास्युटिकल अनुसंधान और विकास सहायता निधि पर ब्याज" - 900.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य विनियोग की तुलना में) फार्मास्युटिकल अनुसंधान और विकास सहायता निधि शुरू किए जाने के कारण हुआ।
- (iii) "मूल्य स्थिरीकरण निधि पर ब्याज" - 2839.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य विनियोग की तुलना में) मूल्य स्थिरीकरण निधि शुरू किए जाने के कारण हुआ।
- (ङ) "अन्य दायित्वों पर ब्याज" -
- (क) "जमाओं पर ब्याज" -
- (i) "राष्ट्रीय रक्षा निधि" - 2357.29 लाख रु. का अधिक व्यय (2006.01 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) निधि में प्रत्याशा से अधिक अनुवृद्धि होने के कारण हुआ।
- (ii) "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जमाएं" - 950.06 लाख रु. का अधिक व्यय (44500.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम के पक्ष में नए सार्वजनिक जमा लेखों का प्रचालन प्रारम्भ किए जाने और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों द्वारा भारी राशियां जमा कराए जाने के कारण हुआ।
- (ख) "विविध - एसडी रुपयों के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय प्रभार" - 1479.44 लाख रु. का अधिक व्यय (6823.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण हुआ।
- (c) "Interest on General and other Reserve Funds" -
- (i) "Railway Pension Fund" - excess of Rs.1312.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.8257.24 lakhs).
Excess under the above two heads was due to more accretion in the fund and less expenditure than anticipated
- (ii) "Interest on Pharmaceutical Research and Development Support Fund" - excess of Rs.900.00 lakhs (against nil appropriation) was due to introduction of Pharmaceutical Research and Development Support Fund.
- (iii) "Interest on Price Stabilisation Fund" - excess of Rs.2839.00 lakhs (against nil appropriation) was due to introduction of Price Stabilisation Fund.
- (E) "Interest on Other Obligations" -
- (a) "Interest on Deposits" -
- (i) "National Defence Fund" - excess of Rs.2357.29 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.2006.01 lakhs) was due to more accretion in the fund than anticipated.
- (ii) "Deposits of Public Sector Undertakings" - excess of Rs.950.06 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.44500.00 lakhs) was due to commencement of operation of new Public Deposit Accounts in favour of National Hydro Electric Power Corporation, Nathpa Jhakri Power Corporation and huge deposits by other Public Sector Undertakings.
- (b) "Miscellaneous - Charges payable to IMF for utilisation of SD Rs." - excess of Rs.1479.44 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.6823.00 lakhs) was due to variation in the exchange rate.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 51.66 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत विनियोग का 65 प्रतिशत था।

(IV) Under one head excess of Rs.51.66 lakhs occurred constituting 65 percent of the sanctioned appropriation.
